

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

362
2019

462
2020

कन्हैमालाल / कालूराम / जगदीश
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

05/11/20

आज यह पत्रावलीयां वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की इस न्यायालय के समक्ष चार पृथक-पृथक अपीले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दौ वादों में पारित प्रारम्भिक एवं अंतिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध क्रमशः प्रस्तुत हुई। जिनको इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 20-12-2019 के द्वारा निस्तारित करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये। इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णयों के विरुद्ध प्रत्येक अपील में प्रार्थी डा. भंवर सिंह मीणा व अशोक कुमार मीणा पुर्नरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनके नोटिस अप्रार्थी/अपीलार्थीगण को जारी किये गये। उनके बाद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये प्रार्थना पत्र पुर्नरावलोकन पर बहस प्रार्थी एकपक्षीय समायत की जाकर प्रार्थना पत्र पुर्नरावलोकन स्वीकार किये जाकर इस न्यायालय द्वारा मूल अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 20-12-2019 निरस्त किये जाकर मूल अपीले पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर ली गयी एवं अपीलों में अपीलार्थीगण को पुनः तलबी हेतु रजि. नोटिस जारी किये गये। जिन पर अपीलार्थीगण के लेने से ईन्कारी की रिपोर्ट आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये प्रार्थी को अपील पर एकपक्षीय सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्यायिक द्रष्टान्त उनवानी भार्गवी कनस्ट्रन्स बनाम कोठाकापू मुथयम रेड्डी 2017(5) सी.टी.सी पेज 775 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि लोक अदालत द्वारा पारित किये गये निर्णय की अपील नहीं की जा सकती विचाराधीन प्रकरण में भी लोक अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिसकी अपील संधारणीय ही नहीं होती। अधिवक्ता प्रार्थी ने इस बिन्दु के सन्दर्भ में धारा 21 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की उप धारा 2 "EVERY AWARD MADE BY A LOK ADALAT SHALL BE FINAL AND BINDING ON ALL THE PARTIES TO THE DISPUTE, AND NO APPEAL SHALL LIE TO ANY COURT AGAINST THE AWARD. का उल्लेख भी किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्रपर आदेश 1 नियम 10 व आदेश 7 नियम 17 जाप्ता दीवानी जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31-07-2020 को प्रस्तुत किये गये की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगणकी और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29-06-1996 पारित किये जाने के पश्चात दिनांक 15-06-1999 को रजिस्टर्ड विक्रय



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

362
2019

462
2020

कन्हैमालाल / कालूराम/जा/व
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्र व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पत्र से कालूराम ने अपने कब्जे एवं खानेदारी की आराजी ख.न. 36 रकबा 49 बीघा 5 बिरवा में से अपना डिस्ट्या 40/123 यानी 8 बीघा का विक्रय प्रार्थीगण के हक में कर कब्जा सम्भला दिया था, जिसका नामान्तरण प्रार्थीगण के हक में स्वीकार होकर उसका अमल जमाबन्दी में हो चूका है, जिससे प्रार्थीगण कृपशुदा आराजी के सन्दर्भ में रिकार्डेड खानेदार हो जाने से हितकारी पक्षकार है अतः उन्हें वाद में पक्षकार बनाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस पक्षकारान सुनी जाकर दिनांक 16-07-1999 को प्रार्थीगण कप आवश्यक पक्षकार धारित करते हुये क्रमशः प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बनाया गया एवं तद्वशीलदार को तत्सम्मत आदेश दिये गये की वे पुनः कुरैजात रिपोर्ट प्रेषित करे। अभिभाषक प्रार्थी ने हमारा ध्यान समस्त प्रस्तुत अपीलों के उनवान की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण वाद में प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में हितकारी पक्षकार धारित हो गये थे एवं वाद में उन्हें बतौर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 समायोजित करने के पश्चात वादों का निस्तारण किया गया है, इसलिये वे अपील में हितकारी एवं आवश्यक पक्षकार है किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा अपील में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाकर अपीले प्रस्तुत की है। इस सन्दर्भ में अभिभाषक प्रार्थी ने हमारा ध्यान आदेश 1 नियम 9 जामा दीवानी की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि यदपि उक्त नियम में न्यायालय चाहे तो पक्षकार समायोजित कर सकता है किन्तु उसके परन्तुक में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि जहाँ प्रकरण में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार समायोजित नहीं किया गया हो, ऐसे प्रकरण में न्यायालय भी पक्षकार समायोजित होने का आदेश नहीं दे सकता एवं प्रकरण में हितकारी पक्षकार के अभाव में विचाराधीन अपीलों का संधारण योग्य नहीं मानते हुये खारिज किये जाने का एकमात्र विकल्प न्यायालय को रहता है। इस सन्दर्भ में अभिभाषक प्रार्थी ने RRT-2007(1) पृष्ठ संख्या 517 उद्धरित करते हुये बहस में निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने उकी प्रकरण में क्रेता को आवश्यक पक्षकार धारित किया है। इसी सन्दर्भ में अभिभाषक प्रार्थी ने RRD 1979 पृष्ठ संख्या 347 उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि यदि किसी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो लंबित प्रकरण को संधारणीय नहीं माना गया है। अतः आवश्यक पक्षकार के अभाव में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपीलों को आवश्यक पक्षकार के अभाव में संधारणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में मुख्य निस्तारणीय बिन्दु यह है कि किसी सहखानेदार से क्रय की गई आराजी का क्रेता क्या आवश्यक पक्षकार है एवं द्वितीय बिन्दु यह है कि यदि क्रेता आवश्यक पक्षकार है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर



राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

362
2019

462
2020

कदमै मालाल / कालूराम / जयपुर
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

यदि उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है तो ऐसे प्रस्तुत प्रकरण की क्या स्थिति बनती है विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से उसमें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व 7 नियम 17 जामा दीवानी जो प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया था, से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के पश्चात प्रकरण के प्रतिवादी कालूराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 8 बीघा आराजी प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गयी थी एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में उनके द्वारा पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना जाकर प्रकरण में प्रार्थीगण का आवश्यक पक्षकार होना धारित करते हुये अपने आदेश दिनांक 16-07-1999 के द्वारा प्रार्थीगण को वाद में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 समायोजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को अपीलार्थीगण द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय की नजीर RRT 2007(1) पृष्ठ संख्या 517 से भी बल मिलता है कि क्रेता आवश्यक पक्षकार लम्बित प्रकरण में हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को वाद में पक्षकार समायोजित कर लेने के पश्चात उसमें आगे हुये प्रत्येक प्रकरण में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार हो जाते हैं किन्तु विचाराधीन अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को पक्षकार समायोजित नहीं किया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा जो माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा RRD 1979 पृष्ठ संख्या 347 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, वह निम्नप्रकार है :- Appeal- Non- joinder of one of pttfs.-resps. In second appeal-Effect-cpc., O. 1, R.9 Proviso-in appeal, filed against judgment of R.A.A. upholding decree of S.D.O., one of pttf.- resps., not impleaded as resp. by deft.-appellants-according to Proviso to O. 1, R.9 relief that could be made available to appellants despite non- joinder of one of pttfs. As a resp. could not be made available if resp., not joined as a party was a necessary party- previous khatedars sold their respective shares in suit land but land, not physically or notionally divided and as such all pttf.- resps. Acquired shares jointly as cotenants without share of any of them having been defined- suit, also decreed jointly by A.C. without specifically defining individual shares- Hence all pttfs.- resps, deemed to have become co-tenants without any defined share- if second appeal, decided in favour of appellants, decrees of lower courts in favour of pttf., not impleaded in second appeal would continue to stand while those in favour of other pttf., would stand, set aside and hence two contradictory decisions would come into existence-



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम

362
2019

168
2020

कदमलाल / कालूराम / जाकिरी
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

य सारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

Hence on joinder of one of pttffs. -resps. Must be deemed fatal to appeal-
Appeal, dismissed.

माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से स्पष्ट है कि यदि किसी अपील में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो ऐसी अपील को जिस न्यायालय के समक्ष ऐसी अपील विचाराधीन हो, को खारिज किये जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौखने बहस उदरीत किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक द्रष्टान्त 2017(5) सी.टी.सी पेज 775 एवं इस सन्दर्भ में ही उदरीत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 21 की उप धारा 2 जो निम्न प्रकार है EVERY AWARD MADE BY A LOK ADALAT SHALL BE FINAL AND BINDING ON ALL THE PARTIES TO THE DISPUTE, AND NO APPEAL SHALL LIE TO ANY COURT AGAINST THE AWARD. के माध्यम से निर्धारित कानूनी बिन्दु से यह न्यायालय पूर्णतः सहमत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत चारों अपीले संधारणीय नहीं होने से खारिज की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपिलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29-06-1996 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05-06-2018 बहाल रखे जाते हैं। निर्णय की एक-एक प्रतियाँ चारों अपील पत्रावलीयो में सलंगन की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

